

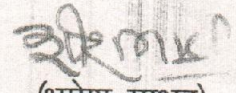
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (आर-34/08)/अलेसे-11/657

दिनांक :- 28-9-21

कार्यालय आदेश

श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, (लिंग नं. 9128) (निलंबित) को विभागीय आदेश क्रमांक 2345-2357 दिनांक 07.03.2017 द्वारा दिनांक 21.02.2017 से निलंबित किया गया था। वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक प.2(3) वित्त/ राजस्व/ 2014 पार्ट दिनांक 28.07.2021 के क्रम में निलंबन से बहाल किए जाने के निर्णय की अनुपालना में श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को तुरन्त प्रभाव से बहाल किया जाता है। श्री मीणा का पदस्थापन कार्यालय कोषालय, बांसवाड़ा में किया जाता है। उक्त बहाली आदेश माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यक्षीन होंगे तथा निलंबन काल का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय उपरांत किया जावेगा।



(भूपेश माथुर)

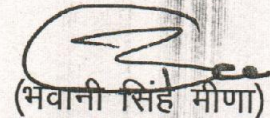
निदेशक

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (आर-34/08)/अलेसे-11/657

दिनांक :- 28-9-21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कोषालय, बांसवाड़ा।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
4. श्री रामकरण मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (निलंबित) कार्यालय कोषालय, चित्तौड़गढ़।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने/पी.आई.एस. इन्द्राज हेतु।
7. निजी पत्रावली/पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली/ गोपनीय शाखा/जॉच शाखा।



(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)